विनियामक एवं अन्य उपाय

जून 2011

आरबीआई/2010-11/552 संदर्भः बैंपविवि. सं.आरईटी.बीसी. 97/12.06.128/2011-11 दिनांक 1 जून 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना -क्रेडिट सुइसे ए.जी.

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 'क्रेडिट सुइसे ए जी' का नाम दिनांक 02 अप्रैल 2011 के भारत के राजपत्र (भाग III खंड 4) में प्रकाशित 8 मार्च 2011 की अधिसूचना बैंपविवि आईबीडी सं.13983/23.03.025/2010-11 के द्वारा शामिल किया गया है।

आरबीआई/2010-11/553 संदर्भः बैंपविवि. सं.आरईटी.बीसी. 98/12.06.129/2011-11 दिनांक 1 जून 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - एसबीईआरबैंक

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में '**एसबीईआरबैंक**' का नाम दिनांक 02 अप्रैल 2011 के भारत के राजपत्र (भाग III खंड 4) में प्रकाशित 8 मार्च 2011 की अधिसूचना बैंपविवि आईबीडी सं.13982/23.03.025/2010-11 के द्वारा शामिल किया गया है।

आरबीआई/2010-11/554 डीबीएस. सीओ. एफआरएमसी. बीसी. सं.9/23.04.001/2011-11 दिनांक 26 मई 2011

निजी क्षेत्र के बैंकों / विदेशी बैंकों में आंतरिक सतर्कता

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकरी

सभी निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक

जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी किये हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में समस्त आंतरिक सतर्कता कार्य पूर्वनिर्धारित व संरचित कार्यविधियों द्वारा हों ताकि व्यापक व्यवहार तथा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

2. भारिबैंक ने बैंक में धोखाधड़ियों व कदाचारों की रोकथाम के लिए विभिन्न परिपत्र भी जारी किये हैं। इस संबंध में बैंक में धोखाधड़ियों व कदाचारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु गठित समिति की सिफारिशों पर दिनांक 25 अगस्त 1992 के परिपत्र डीबीओडी सं.बीसी.20.17.04.001; बैंकों में आंतरिक नियंत्रण व निरीक्षण / लेखा-परीक्षा प्रणालियों पर कार्य दल की सिफारिशों को सूचित करते हुए 1 नवंबर 1996 को जारी परिपत्र डीओएस.सं.पीपी.बीसी. 20/16.03. 26/96-97; बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में आंतरिक सतर्कता प्रणाली को मजबूत करने पर जारी 20 सितंबर 2004 के परिपत्र डीबीएस. एफआरएमसी. सं.7/23.04.001/2004-05 की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3. निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों के सतर्कता कार्य को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सतर्कता कार्य के साथ सहयोजित करने के प्रयास में निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों तथा कुछ विदेशी बैंकों के वर्तमान सतर्कता कार्यों को इस संबंध में जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आंका गया और यह पाया गया कि बैंकों के बीच प्रचलित प्रथाओं में अत्यधिक भिन्नता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों के लिए तत्समान विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जाएं ताकि निजी क्षेत्र के बैंकों व विदेशी बैंकों के कार्यों विशेषतः भ्रष्टाचार, कदाचार, धोखाधड़ियों आदि से संबंधित चूकों से उत्पन्न सभी मुद्दों का बैंकों द्वारा एकसमान रूप से समाधान किया जा सके तथा समय पर उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

4. अनुबंध में दिये गये विस्तृत दिशानिर्देशों का उद्देश्य आंतरिक सतर्कता के कार्य में एकरूपता लाना एवं उसे तर्कसंगता बनाना है। आपको सूचित किया जाता है कि आप उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार इस परिपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीन महीनों के भीतर अपने बोर्ड के अनुमोदन से आंतरिक सतर्कता की एक प्रणाली लागू करें। भारतीय रिज़र्व बैंक को इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट 31 अगस्त 2011 को या उससे पहले प्रस्तुत की जाए।

आरबीआई/2010-11/555 डीबीएस. सीओ. एफआरएमसी. बीसी. सं.10/23.04.001/2010-11 दिनांक 31 मई 2011

फोरेंसिक जांच के परिणाम - धोखाधड़ियों की रोकथाम हेतु दिशानिर्देश

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

एवं चुनिन्दा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

हाल ही में, हमने पहचाने गए कतिपय बैंकों में अधिक मूल्य की धोखाधड़ियों के घटित होने या धोखाधड़ियों की संख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण उनकी फोरेंसिक जांच की थी। उक्त जांच मुख्य रूप से नीतिपरक कमियां, यदि कोई हों, तथा नियंत्रणों की पर्याप्तता की पहचान करने हेतु की गई थी। जाँच के दौरान, प्रणालीगत कारकों की भी पहचान करने की कोशिश की गई।

2. जाँच के परिणामों के आधार पर धोखाधड़ियों का पता लगाने, रिपोर्टिंग तथा निगरानी के साथ-साथ परिचालित निगरानी / पर्यवेक्षण प्रक्रिया के लिए लागू नीति और परिचालनगत ढांचे का पता लगाने हेतु समस्त बैंकों में अतिरिक्त अध्ययन किया गया है ताकि धोखाधड़ियों की रोकथाम हो। उक्त अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि बैंकों के पास हालांकि इस संबंध में कतिपय नीतियाँ व प्रक्रियाएं हैं किन्तु धोखाधड़ी की विशिष्ट घटनाओं पर उचित रूप से निगरानी सुनिश्चित करने हेतु वे सुसंरचित और प्रणालीबद्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त धोखाधड़ी की विशेषताओं वाले ऐसे लेन-देनों को आँकने तथा उनकी 'सक्षम प्राधिकारी' को रिपोर्टिंग करने में निरंतरता का अभाव है। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित कतिपय निर्देशात्मक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति में उचित रूप से संशोधन करें तथा इस मामले में परिचालनगत ढांचे को सरल व कारगर बनाएं।

3. निम्नलिखित क्षेत्रों में सूचित की गई धोखाधड़ियां पुनरावृत्ति या बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाती हैं:

- स्टॉकों के दृष्टिबंधक पर ऋण / अग्रिम
- आवास ऋण के मामले
- फर्जी दस्तावेजों की प्रस्तुति जिनमें साखपत्र सम्मिलित हैं
- अधिक ऋण राशि प्राप्त करने हेतु संपत्ति के समग्र मूल्य को बढ़ाना
- मंजूरी के समय पर बंधक रखी संपत्तियों का अधिमूल्यन
- फर्जी सावधि जमा रसीदों पर ऋणों की मंजूरी
- निर्यात बिलों की ओवर इन्वोयसिंग जिसके फलस्वरूप रियायती बैंक वित्त, विभिन्न शुल्कों इत्यादि में छूट प्राप्त होती है
- हाउसकीपिंग की कमियों से धोखाधड़ियों का उत्पन्न होना।

उपर्युक्त सूची केवल उदहारणस्वरूप है न कि परिपूर्ण।

बैंकों से अपेक्षित है कि वे उपर्युक्त क्षेत्रों में जहां धोखाधडियों की विशिष्ट रूप से जमावट है, करीब से निगरानी तथा सख्त नियंत्रणों को लागू करें। इस संबंध में उपर्युक्त क्षेत्र में धोखाधड़ियों के संबंध में पूर्व में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्रों की चुनिंदा सूची अनुबंध में दी गई है।

4. धोखाधड़ियों की खोज-खबर रखने तथा उनसे निपटने हेतु परिचालन ढांचा निम्नलिखित तीन माध्यमों के अनुसरण में संरचित किया जाना चाहिए:

(क) धोखाधड़ियों का पता लगाना तथा रिपोर्टिंग

(ख) सुधारात्मक कार्रवाई तथा

(ग) निवारक तथा दंडात्मक कार्रवाई

पता लगाना व रिपोर्टिंग: बैंकों के पास निर्धारित प्रक्रियाओं तथा मानदंडों का एक सेट होना चाहिए जिसके द्वारा धोखाधड़ी होने की पुष्टि करने हेतु गंभीर अनियमितताओं वाली घटनाओं या लेन-देनों का विश्लेषण व मूल्यांकन किया जाता है।

इस प्रयोजन हेतु, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर 'धोखाधड़ी' को परिभाषित कर सकते हैं। ऐसा करते समय, वे 'कार्य निर्वाह' में लापरवाही की वजह से हुई किसी घटना को बैंक स्टाफ द्वारा (उधारकर्ताओं के साथ बैंक को धोखा देने के उद्देश्य से) 'साँठगाँठ' से स्पष्टतः अलग पर पहचाने। इसके अतिरिक्त, 'इरादतन चूक' के दृष्टांतों से निपटते समय सावधानी बरती जाए। इस संबंध में, निम्नलिखित में से किसी एक घटना को ध्यान में लाया जाता है तो यह माना जाएगा कि इरादतन चूक हुई है:

(क) यूनिट ने उधारकर्ता के प्रति उसके भुगतान / चुकौती के दायित्वों को पूरा करने में चूक की है जबकि उसके पास दायित्वों को निभाने की क्षमता है।

(ख) यूनिट ने उधारकर्ता के प्रति उसके भुगतान / चुकौती के दायित्वों को निभाने में चूक की है तथा उधारकर्ता से प्राप्त वित्त उस विशिष्ट प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जिसके लिए वित्त प्राप्त किया गया था बल्कि अन्य उद्देश्यों हेतु निधियों को डाइवर्ट किया गया है।

(ग) यूनिट ने उधारदाता के प्रति उसके भुगतान / चुकौती के दायित्वों को निभाने में चूक की है तथा निधियों को बेईमानी से निकाला है ताकि निधियों को उस विशिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया, जिसके लिए वित्त प्राप्त किया था, न ही यूनिट के पास अन्य आस्तियों के रूप में निधियाँ उपलब्ध है।

(घ) उसके भुगतान / चुकौती के दायित्वों को निभाने में चूक की है तथा बैंक / उधारदाता को सूचित किए बिना अवधि ऋण को प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके या यूनिट द्वारा दी गई चल स्थायी आस्तियों या अचल संपत्ति को भी बेचा गया या हटाया गया।

इसके अतिरिक्त, बैंक धोखाधड़ी करने के *'उद्देश्य'* की भी जांच करें, इस बात पर ध्यान दिये बिना कि वास्तविक रूप से क्षति हुई है या नहीं। इन मुख्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अनुचित / अन्यायपूर्ण लाभ या फायदा प्राप्त करने हेतु साँठ-गाँठ से किए गए किसी भी कार्य को धोखाधड़ी के रूप में माना जाना चाहिए।

पहचान के ऐसे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, जब भी किसी धोखाधड़ी का पता लगाया जाता है तब एक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए तथा ''सक्षम प्राधिकारी'' को प्रस्तुत की जानी चाहिए। बैंकों की समग्र नीति तथा परिचालन ढाँचे के हिस्से के रूप में उन्हें चाहिए कि वे उस सक्षम प्राधिकारी की पहचान व नियुक्ति करें जिसको रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। धोखाधड़ी रिपोर्ट एक विश्लेषित मूल्यांकन हो, जो स्पष्टतः धोखाधड़ी के कारणों को प्रकट करे तथा यह पहचान करें कि धोखाधड़ी 'प्रणाली की विफलता' या 'मानव विफलता' के कारण घटित हुई है।

दोषनिवारक कार्रवाई: धोखाधड़ी के माध्यम से बेईमानी से निकाली गई राशि की वसूली धोखाधड़ी में एक महत्त्वपूर्ण दोषनिवारक कदम है। अक्सर, घटनाओं / लेन-देनों की जांच तथा पूछताछ के दौरान धोखाधडी की राशि के प्रवाह को पता लगाने की आवश्यकता को उचित प्राथमिकता नहीं मिलती या इस दिशा में की गई कार्रवाई से कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता।

यह प्रमुख रूप से निम्नलिखित के कारण हो सकता है:-

- विभिन्न स्तरों से युक्त / आपस में लेन-देनों को विभेदित करने, धोखाधड़ी से जुटाई गई राशियों का अंतिम गंतव्य स्थान निर्धारित करने तथा आस्तियों / संपत्तियों में राशियों के निवेश तथा / अथवा व्ययों में राशियों के उपयोग की जानकारी प्राप्त करने में प्रचालन स्टाफ की क्षमता का अभाव।
- ऐसे मामले में जहां प्रचालन स्टाफ इस कार्य से जुड़ी पेचीदगियों के कारण यह कार्य करने की स्थिति में नहीं है तो इस प्रकार की जांच में काफी समय लग जाता है तथा प्रायः यह कार्य रूटीन तरीके से समाप्त किया जाता है।

घटनाओं या लेन-देनों की एक संरचित छानबीन / जांच से इस बात का एक त्वरित निष्कर्ष निकलेगा कि क्या धोखाधड़ी की गई है तथा बैंक की निधियों को बेईमानी से निकाला गया है। इस प्रकार, यह कार्य दोषनिवारक कार्रवाई हेतु पहला महत्त्वपूर्ण कदम है जिसके द्वारा पुलिस शिकायतों को शीघ्रता से दर्ज करना, खातों को अवरुद्ध करना / जब्त करना तथा यथासमय अवरुद्ध जब्त खातों से निधियों को बचाना संभव हो पाएगा। इसके अतिरिक्त, जब लेन-देनों के एक समूह को स्पष्ट रूप से धोखाधडी पूर्ण पाया जाता है, जब संबंधित दस्तावेजों के जब्त करने तथा कब्जा प्राप्त करने, पहचान किए / संदेहास्पद कर्मचारियों को निलंबन आदेश / छुट्टी पर जाने का आदेश जारी करने की अनिवार्यता संबंधी कार्य सरल हो जाएगा जिससे उन्हें साक्ष्यों को नष्ट करने / हेर-फेर करने या जांचों में अवरोध डालने से रोका जा सकेगा। इस संबंध में, हमारे परिपत्र बैंपर्यवि. केंका. धो.नि.क.बी.सी. संख्या 7/23.04.001/2009-10 दिनांक 16 सितंबर 2009 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह सूचित किया गया है उन्हें 'धोखाधड़ी रोकथाम तथा प्रबंधन कार्य' पर एकमात्र फोकस देना चाहिए ताकि अन्य बातों के साथ-साथ धोखाधड़ी मामलों में प्रभावी जांच तथा उचित विनियामक व विधि प्रवर्तन एजेंसियों को धोखाधड़ी के मामलों की तुरंत व सही रिपोर्टिंग संभव हो सके।

निवारक व दंडात्मक कार्रवाई: नैदानिक विश्लेषण के अनुसार, 'प्रणालीगत चूक' के समाधान के लिए आवश्यक निवारक कार्रवाई तथा/अथवा 'मानव चूक' के आंतरिक समाधान के लिए दंडात्मक कार्रवाई तत्काल शुरू कर शीघ्र पूर्ण की जानी चाहिए।

सामान्य रूप में, बैंकों में प्रणाली द्वारा नियंत्रित वर्तमान माहौल में, जहां भी लेन-देनों में *'नियंत्रणों'* का उल्लंघन होता है यह उल्लंघन 'एंड ऑफ डे एक्सेप्शन रिपोर्ट' में दर्शाया हाता है। तदनुसार, ऐसी सभी *अपवादात्मक रिपोर्टों* का पदनामित अधिकारी द्वारा अवलोकन किया जाना चाहिए। तथापि, कतिपय मामलों में यह पाया गया है कि यह प्रक्रिया प्रायः विधिवत रूप से कार्यान्वित नहीं की जाती जिससे कमजोर आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था प्रतिबिम्बित होती है। अतः बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस प्रक्रिया में आवश्यक सुधार लाएं तथा यह विनिर्दिष्ट करें कि किन-किन स्तरों / प्राधिकारियों को अपवादात्मक रिपोर्टें अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए व प्राधिकारी अपवाद रिपोर्टों से निपटने हेतु क्या कार्रवाई करें। अपवादात्मक रिपोर्टों

को किस प्रकार से बनाया जाए, इन रिपोर्टों में निहित लेन-देन की जांच / छान-बीन कैसे की जाए तथा इन रिपोर्टों को उल्लंघनों हेतु आवश्यक प्राधिकरण के लिए उच्चतर प्राधिकारियों को कैसे प्रस्तुत किया जाए, इन सबकी बैंक के प्रबंधन / निदेशक मंडल द्वारा आवधिक समीक्षा व निगरानी की जाए।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंकों को उनके धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन ढांचे के भाग के रूप में उनकी मानव संसाधन प्रक्रियाओं तथा आंतरिक निरीक्षण / लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित नियंत्रणों तथा हतोत्साहित करने वाले पहलुओं को लागू करने हेतु तुरंत कदम उठाने चाहिए:

(क) डीलिंग रूम व कोषागार के प्रबंधकों, उच्च मूल्य वाले ग्राहकों के संबंध प्रबंधकों, विशेषीकृत शाखाओं के प्रमुखों आदि महत्त्वपूर्ण संवेदनशील पदों के लिए बैंकों को केवल उन्हीं अधिकारियों को चयनित करना चाहिए जो 'उपयुक्त व उचित' मानदंड को पूरा करते हों। इस उद्देश्य हेतु, बैंकों को महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील पदों या प्रचालन क्षेत्रों की एक सूची तैयार करनी चाहिए तथा प्रचालनों के ऐसे पदों / क्षेत्रों के लिए स्टाफ / अधिकारियों की योग्यता को निर्धारित करने हेतु सुपरिभाषित 'उपयुक्त व उचित' मानदंड बनाना चाहिए। ऐसी तैनातियों की उपयुक्तता की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

(ख) बैंकों को तुरंत 'स्टाफ रोटेशन' नीति तथा स्टाफ हेतु 'अनिवार्य अवकाश' की नीति लागू करनी चाहिए। आंतरिक लेखा परीक्षकों एवं समवर्ती परीक्षकों से विशेष रूप से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे इन नीतियों के क्रियान्वयन की जांच करें और उल्लंघनों के संबंध में इस बात को ध्यान दिये बिना कि अननुपालन, यदि कोई है, के लिए उचित कारण सूचित करें। रोटेट न किए गए / अवकाश पर न गए अधिकारियों तथा स्टाफ द्वारा लिए गए निर्णय / किए गए लेन-देनों की व्यापक जांच समवर्ती लेखा-परीक्षकों सहित आंतरिक लेखा-परीक्षकों / निरीक्षकों द्वारा की जानी चाहिए। तद्संबंधी जांच परिणामी लेखा-परीक्षा / निरीक्षण रिपोर्टों के एक पृथक खंड में प्रलेखित किया जाना चाहिए।

(ग) बैंकों को जांच, डाटा विश्लेषण, फोरेंसिक विश्लेषण इत्यादि में रुचि रखने वाले स्टाफ के रूप में पहचाने गए अधिकारियों / कर्मचारियों का एक डाटाबेस बनाना चाहिए तथा उन्हें जाँचों तथा फोरेंसिक लेखा परीक्षा में उपयुक्त प्रशिक्षण देना चाहिए। धोखाधड़ियों की जांच हेतु, केवल ऐसे ही अधिकारियों / स्टाफ को 'धोखाधड़ी जांच यूनिट / आउटफिट' के माध्यम से तैनात किया जाना चाहिए।

आरबीआई/2010-11/556 शबैंवि. बीपीडी.(पीसीबी) परि. सं.50/13.05.000(बी)/ 2010-11 दिनांक 2 जून 2011

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) तथा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) का वित्तपोषण

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

मौद्रिक नीति 2011-12 में घोषित किए गए अनुसार [पैरा 100 - संलग्न] शहरी सहकारी बैंकों के आउटरीच को बढाने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु एक अतिरिक्त चैनल खोलने की दृष्टि से स्वयं सहायता समूह / संयुक्त देयता समूह को उधार देने के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। शहरी सहकारी बैंक इस प्रकार की गतिविधि शुरू करने से पहले अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से इस संदर्भ में दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर नीति बनाए।

आरबीआई/2010-11/561 बैंपविवि.बीपी. बीसी. सं.99/21.04.132/2011-11 दिनांक 10 जून 2011

बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर)

कृपया 'बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश' पर 27 अगस्त 2008 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.बीपी.37/21.04.132/2008-09 का पैराग्राफ 3.4.2(v) देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि यदि विशेषज्ञता /समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में उन्हें अपनी छोटी / ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास की गणना करने में कोई कठिनाई होती है तो उन्हें उचित मूल्य में ह्रास की राशि की नोशनल गणना करने का विकल्प होगा। इसके लिए उन्हें उन सभी पुनर्रचित खातों के संबंध में कुल एक्सपोजर के पांच प्रतिशत का प्रावधान करना होगा जहां मार्च 2011 में समाप्त वित्त वर्ष तक कुल बकाया एक करोड़ रुपए से कम है। यह भी सूचित किया गया था कि बाद में इस स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा।

2. इसकी समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि छोटी तथा ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास की गणना का उपयुक्त विकल्प पुनर्रचना के बाद अगले दो वर्षों तक अर्थात 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्त वर्ष तक लागू रहेगा। इस स्थिति की समीक्षा बाद में की जाएगी।

आरबीआई/2010-11/562 डीजीबीए.सीडीडी.सं.एच-8545/15.15.001 /2011-11 दिनांक 9 जून 2011

सेना कर्मियों द्वारा जमा राशि पर कुछ बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना - 2004 (एससीएसएस) का कार्यान्वयन न करना

हमारे यह ध्यान में लाया गया है कि 29 अक्तूबर 2004 के भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन एफ सं.2-8/2004-एनएस-II में दी गई सूचनाओं का कार्यान्वयन कुछ एजेंसी बैंकों द्वारा नहीं किया गया है, जोकि 30 अक्तूबर 2004 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2004-5/259 संदर्भ सीओ.डीटी. सं. 15.05.001/एच-3999-4021/2004-05 के द्वारा एजेंसी बैंकों को परिचालित किया गया था, ऐसा विशेषतः सेवा निवृत्त सेना कर्मियों के मामले में किया गया है और उनमें से कुछ व्यक्तियों को इस योजना से प्राप्त सुविधाओं से वंचित रखा गया जो निर्देशों का उल्लंघन है।

2. अत: हम यह दोहराते हैं कि हमारे उपर्युक्त परिपत्र में जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सेवानिवृत्त सेना कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया जाता है यदि वे अन्यथा पात्र हों।

3. आप इस परिपत्र और इसके पूर्व के परिपत्र की विषयवस्तु से इस योजना से व्यवहार करने वाली अपनी सभी शाखाओं को अवगत कराएं।

आरबीआई/2010-11/563 डीपीएसएस. सीओ. ओएसडी. सं.2764/06.11.001/2010-11 दिनांक 14 जून 2011

सीआइएसए अर्हतावाले लेखा-परीक्षक से सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट की प्रस्तुति के संबंध में निदेश

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

कृपया उपर्युक्त विषय पर 27 दिसंबर 2010 का हमारा परिपत्र सं.डीपीएसएस.1444/ 06.11.001/2010-11देखें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त परिपत्र केवल उन इकाइयों पर लागू हैं जो भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अधीन निपटान प्रणाली को ऑपरेट करते हैं। तदनुसार, सिस्टम ऑडिट वहां लागू नहीं है जहां बैंक / इकाई आरटीजीएस, एनईएफटी, सीएफएमएस, ईसीएस, एनईसीएस, कार्ड भुगतान प्रणाली (विजा, मास्टर कार्ड, आदि), एटीएम नेटवर्क (उदा. एनएफएस, बीएएनसीएस जैसे) आदि जैसी विभिन्न भुगतान प्रणालियों के सहभागी हैं।

आरबीआई/2010-11/578 सबैंलेवि.सीडीडी.सं.एच.8842/15.02.001/2010-11 दिनांक 17 जून 2011

लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना - 1968 - पीपीएफ एचयूएफ खाते के ब्याज में भुगतान के संबंध में

कृपया हमारे दिनांक 27 दिसंबर 2010 के परिपत्र भारिबैं/2010-11/344 सबैंलेवि.सीडीडी. सं.एच-4311/15.02.001/2010-11 को देखें, जिसके साथ उपरोक्त विषय पर भारत सरकार के दिनांक 7 दिसंबर 2010 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर.956(ई) को अग्रेषित किया गया था।

2. इस संबंध में भारत सरकार के दिनांक 1 जून 2011 के पत्र एफ. सं.7/4/2008-एस.एस.II के द्वारा यह निर्णय किया है कि पीपीएफ दरों पर ब्याज का भुगतान उन पीपीएफ (एचयूएफ) खातों पर किया जाएगा जोकि 13 मई 2005 के बाद परिपक्व हुए हैं किंतु 7 दिसंबर 2010 के पहले अंशदाताओं द्वारा बंद किए गए है, बशर्ते कि खातों को इसके बाद आगे न बढ़ाया गया हो और इन खातों में बिना कोई आगे अंशदान किए जमाशेष रखा गया हो।

3. आप इस योजना का क्रियान्वयन करनेवाली अपनी शाखाओं को इसके बारे में सूचित करें।

आरबीआई/2010-11/582 ग्राआऋवि. जीएसएसडी. केंका. सं.1436O/09.01.01 सीएम/2010-11 दिनांक 17 जून 2011

वर्ष 2011-12 के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत ऋण संग्रहण लक्ष्य

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के लिए ऋण संग्रहण

लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया। वर्ष 2011-12 के लिए राज्य / संघ शासित क्षेत्रवार लक्ष्य संलग्न हैं।

2. हम सूचित करते हैं कि दर्शाए गए राज्य-वार लक्ष्य राज्य के एसएलबीसी संयोजक बैंक के क्षेत्राधिकार में कार्य करनेवाले बैंकों के बीच आबंटित किए जाएं और इसकी सूचना हमें दी जाए। एसएलबीसी को स्वीकार्य मानदंडों जैसे संसाधन, ग्रामीण / अर्ध - शहरी शाखाओं आदि के आधार पर प्रत्येक बैंकों के लक्ष्यों को अंतिम रूप देना चाहिए ताकि प्रत्येक बैंक अपने कार्पोरेट लक्ष्य प्राप्त कर सकें। हम अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ऋण लक्ष्य प्राप्ति की निगरानी प्राप्त विवरणियों के माध्यम से करेंगे।

3. अग्रणी बैंक प्रत्येक राज्य / संघशासित क्षेत्र में संबंधित एसएलबीसी / यूटीएलबीसी के माध्यम से नियमित अंतराल पर ऋण संग्रहण निष्पादन की समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बैंकों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

4. प्राथमिकता क्षेत्र को उधार - विशेष कार्यक्रम - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) पर दिनांक 1 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र भारिबैं/2010-11/56-ग्राआऋवि. एसपी. बीसी. सं.7/09.01.01/2010-11 के पैरा 22 के अनुसार मासिक / त्रैमासिक / छमाही रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की जाएं।

5. साथ ही, जैसाकि आपको ज्ञात है, हमने एसजीएसवाई के संबंध में बैंकों द्वारा ऑन-लाइन ब्योरे प्रस्तुतीकरण की एक अपग्रेडेड प्रणाली (पीसीआरपीसीडी) शुरू की है। वर्ष 2011-12 के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को आंबंटित राज्य-वार लक्ष्य, आपके बैंक से प्राप्त होने पर केंद्रीय कार्यालय में हमारी प्रणाली में अद्यतन किए जाएंगे। इसके बाद, आपको वर्ष 2011-12 के लिए राज्य-वार / बैंक-वार वित्तीय लक्ष्य अपनी प्रणाली में अद्यतन करना है। इससे सदस्य बैंक हमें ऑन-लाइन विवरणियां प्रस्तुत कर सकेंगे।

6. कृपया आप यह सुनिश्चित करें कि उक्त प्रगति रिपोर्टें हार्ड-कॉपी और पीसीआरपीसीडी के अंतर्गत ऑन-लाइन में साथ-साथ प्रस्तुत की जा रही हैं तथा हमारी ओर से अगले अनुदेश प्राप्त होने तक यह जारी रखें।

7. कृपया अपने नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं को उचित अनुदेश जारी करें तथा इसकी सूचना हमें भी दें।

आरबीआई/2010-11/589 बैंपर्यवि. केंका. एफआरएमसी. बीसी. सं.11/23.04.001/2010-11 दिनांक 30 जून 2011

संगामी लेखा परीक्षा की प्रभावोत्पादकता

अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) तथा भारत की सभी चुनिंदा वित्तीय संस्थाएं

1. बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को गई आवास ऋण क्षेत्र के अंतर्गत धोखाधड़ियों सहित सूचित की बड़ी राशियों की धोखाधड़ियों की एक जांच, नियंत्रण व्यवस्था में उन कमियों को समझने हेतु की गई, जो धोखाधड़ियां करवाने में सहायक थी जब शाखाएं संगामी लेखा परीक्षा के अधीन थी। यह पाया गया कि अधिकांश धोखाधड़ियां उधारकर्ताओं द्वारा जमा किए गए उन जाली दस्तावेजों के कारण की गई थी, जिन्हें व्यावसायिकों अर्थात मूल्यांकनकर्ताओं / एडवोकेटों / सनद लेखाकारों द्वारा प्रमाणित किया गया था।

2. संगामी लेखा परीक्षकों की ओर से की गई चूक के लिए उत्तरदायी कारण संभवता वित्तीय उत्पादों या लेनदेनों की नई / उन्नतिशील / जटिल प्रकृति है। इसके अतिरिक्त बैंकों ने लेखा परीक्षा उत्तरदायित्व उनके स्वयं के स्टाफ को सौंपी है, यह सुनिश्चित किए बिना कि वे उक्त लेखा परीक्षा उत्तरदायित्व को पूरा करने में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है।

3. उक्त धोखाधड़ियों को रोकने के उद्देश्य से, बैंक एक प्रणाली लागू करें जिसमें संगामी लेखा परीक्षा निम्नलिखित पर जांच करें तथा निम्नलिखित पहलूओं पर सूचना दें:

(i) जहां कहीं भी ऋणों हेतु जमानत के रूप में टाइटल के दस्तावेजों को जमा किया जाता है, वहां एक व्यवस्था होनी चाहिए जहां टाइटल के दस्तावेज उनकी वास्तविकता के संबंध में सत्यापन के अधीन हों, विशेष रूप से बड़ी राशियों के ऋणों हेतु। भूमि की जमानत पर ऋण के मामले में, बैंक ऋण मंजूरी से पहले टाइटल डीडों के संबंध में स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों से रिपोर्टों की मांग कर सकते हैं।

(ii) जहां कहीं भी उधारकर्ता द्वारा सनद लेखाकार प्रमाणपत्र, संपत्ति मूल्यांकन प्रमाणपत्र, विधि प्रमाणपत्र, गारंटी / ऋण व्यवस्था या अन्य कोई तृतीय पक्षकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो बैंक को प्रमाणपत्र जारी करने वाले संबंधित प्राधिकारी से सीधे संपर्क

करते हुए ऐसे प्रमाणपत्रों की वास्तविकता का सत्यापन स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, अप्रत्यक्ष पुष्टि की भी सहायता ली जा सकती है अर्थात जारीकर्ता को यह दर्शाना है कि एक अमुक समय सीमा तक कोई उत्तर नहीं मिलने पर, यह माना जाएगा कि प्रमाणपत्र वास्तविक है।

(iii) पहलुओं जैसे आंतरिक अनुशासन, स्टाफ रोटेशन, जांचों तथा नियंत्रणों इत्यादि को बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(iv) ऐसे मामलों में जहां यह पुष्टि होती है कि सनद लेखाकार, वकील, पंजीकृत संपत्ति मूल्यांकनकर्ता या ऐसी तृतीय पक्षकार द्वारा किया गया प्रमाणन गलत है, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को प्रमाणकर्ता के संबंध में सभी बैंकों को एक सावधानी सूची जारी करने के लिए एक प्रक्रिया लागू करनी चाहिए। इस संबंध में बैंक इस मामले में हमारे परिपत्र बैंपर्यवि.कें.का.एफआरएमसी. बीसी.3/23.04.001/2008-09 दिनांक 16 मार्च 2009 का अनुपालन सुनिश्चित करें।